

तारीख हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिलमें
जारी हुए

**हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 19/2023**

06.12.2024

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल प्रदीप कुमार पुत्र मोजीलाल, जाति- यादव, निवासी- सांतपुर, पुलिस थाना, रिको आबूरोड़, जिला- सिरौही स्वयं उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री अल्लतमस शेख ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल के विरुद्ध जारी वारन्ट गिरफ्तारी अदम तामिल प्राप्त हुआ। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश व जुआंरी है। गैरसायल द्वारा इस प्रकार जुआं संबंधी कृत्य करने से आम जन अपनी जमा पुंजी गवा चुके हैं एवं गवा रहे हैं तथा गैरसायल द्वारा जुआं खेलने व ऐसे आपराधिक कृत्य से समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल के उक्त आपराधिक कृत्य को रोका जाना आवश्यक है। गैरसायल के इस प्रकार के कृत्य से आम जन में भय का वातावरण बना हुआ है। आमजन ऐसे बदमाश व्यक्ति की आपराधिक हरकतों से परेशान हैं व इसने थाना क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण बना दिया है इसके भय के कारण लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलने पर पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर व रिको थाना आबूरोड़ में कुल 12 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश की धारा 13 के तहत दर्ज हुये हैं, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त अपराधों में दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। वर्तमान में भी गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था व समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरौही जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज 12 प्रकरणों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 13.8.2023 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नहीं की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नहीं की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल प्रदीप कुमार पुत्र मोजीलाल, जाति- यादव, निवासी-
.....लगातार

सह
पुलिस
अधीक्षक
(सिरौही)
अधिन्याय



बति. जिला न्यायालय
सिरौही-307001.

तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 19/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस की तामिलमें जारी हुए</p>
	<p>सांतपुर, पुलिस थाना, रिको आबूरोड़, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर एवं पुलिस थाना रिको आबूरोड़ में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश की धारा 13 के तहत कुल 12 मुकदमें दर्ज हुये हैं एवं इन सभी मुकदमों में बाद अनुसंधान गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। इनमें से गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 18 दिनांक 28.01.2023 व अपराध संख्या 149 दिनांक 13.8.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 18 दिनांक 28.01.2023 व अपराध संख्या 148 दिनांक 13.8.2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 15.2.2023 व 01.9.2023 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है। वर्तमान में भी गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है। इसके इन आपराधिक कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था एवं समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है।</p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुये गैरसायल प्रदीप कुमार पुत्र श्री मोजीलाल, जाति- यादव, निवासी- सांतपुर, पुलिस थाना, रिको आबूरोड़, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06.12.2024 से 04.1.2025 तक 30 दिन की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, आबूरोड़ से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नहीं रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं रहेगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 20.12.2024 तथा 02.01.2025 को पुलिस थाना, सरुपगंज में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, रिको आबूरोड़ को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरुपगंज / रिको आबूरोड़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।</p>	

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

मति. जिला बचिस्टे

सिरौही-307001.